न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मोहकमसिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2019 रे.वाद
दायर दिनांक – 20/06/2019
निर्णय दिनांक – 24/11/2025

अनवान

1. संतोष पुत्री गिरधारी पत्नी मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी महासिंह का गुड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

––वादीया

बनाम

1. दुर्गा पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. सोहन पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. चम्पा देवी पत्नी शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुखी पुत्री शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. कमली पुत्री शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – श्रीमती चन्दा तिवारी, अधिवक्ता।

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादिया ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादीया के पिता श्री गिरधारी पिता श्री गोमा जी कि सयुक्त आराजियात ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तह० देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता सख्या 142/143 के खसरा संख्या 31 , 144 , 206 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 18 विस्वा एंव खाता संख्या 143/144 खसरा संख्या 188 , 189 , 191 ,192 कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 16 एंव खाता संख्या 144/142 खसरा संख्या 146 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा एंव खाता न. 145/141 खसरा संख्या 190 रकबा 3 विस्वा भूमि स्थित है। वादीया के पिता श्री गिरधारी जी गुर्जर का स्वर्गवास आज से करीब 20 वर्ष पुर्व हो चुका है श्री गिरधारी जी कि वादीया जाईन्दा जीवित पुत्री है श्री गिरधारी जी के 4 सन्तान थे 1. श्री शिवा 2. श्री दुर्गा 3. सोहन एवं 4. श्रीमती सन्तौष । 3. वादीया के पिता मृत्यु के बाद उक्त भुमी का नामान्तरण खोलते समय वादीया को कोई जानकारी नहीं दी गई एव नामान्तरण सख्या 338 गलत रूप से पटवार हल्का से मिलकर श्री गिरधारी के कोई पुत्री नही बताते हुये मात्र केवल पुत्र शिवा जी दुर्गा जी व सोहन को ही पुत्र बताते हुये नाम वादग्रस्त आराजियात में अपने नाम दर्ज रेकार्ड करा

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

लिये । जबकि मैं वादीया श्री गिरधारी के पुत्री श्रीमती सन्तौष देवी थी जो शिवा, दुर्गा, सोहन कि एक मात्र बहन व श्री गिरधारी की एक मात्र पुत्री है। शिवा, दुर्गा , सोहन ने गिरधारी के कोई पत्री नही बताते हुये मात्र केवल पुत्र शिवा ,दुर्गा , सोहन को एक मात्र गिरधारी के जाईन्दा पुत्र बलाकर जमीन का नामन्तरण खुलवा दिया गया उक्त नामान्तरण कि जानकारी कभी भी बादीया को नही थी न ही वादीया को कभी कोई सूचना पत्र दिया गया मिली भगत से पटवारी ने मन मकसूद तरीके से शिवा ,दुर्गा , सोहन के नाम भूमी कर दी एवं शिवा के मरने के बाद उक्त बाद ग्रस्त भुमी शिवा की सन्तान प्रतिवादी सख्या 3 से लगायत 5 के नाम हो गई। वादीया का उक्त पिता कि सम्पती में जब पिता कि मृत्यु हेई तब विरासत से नाम दर्ज होना चाहिये था जिसके वादीया विधिक रूप से अधिकारनी थी परन्तु प्रतिवादीगण ने मिलि भगत कर वादीया को अपने हक अधिकारों से महरूम करने के लिये नामान्तरण कि कार्यवाही कर भुमी गिरधारी के तीनो पुत्रो के नाम करा दी जिससे वादीया के विधिक अधिकारों का हनन हुआ वादीया गिरधारी जी कि मृत्यु के बाद से ही अपना हक अधिकार रखती है एव वादीया गिरधारी जी के 1/4 हिस्से कि अधिकारीनी है इस हेतु वादीया माननीय न्यायालय आप में बाबत वाद घोषणा का प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में गिरधारी कि सम्पती (भुमी) में 1/4 हिस्से कि घोषणा चाहती है एव राजस्वा रेकार्ड में 1/4 हिस्से गिरधारी कि सम्पती में वादीया नाम दर्ज कराना चाहती है राजस्वा रेकार्ड में अन्य सह खातेदारो से वादीया को उनकी जमीन के हिस्से में कोई रिलिफ नहीं चाहिये इसलिये वादीया ने मुकदमा अनवान में उनको पक्षकार नहीं बनाया है। वादीया को उक्त भुमी जिसकी मालिक विरासत से वादीया थी अपने नाम दर्ज नहीं होने कि जानकरी जब पटवार हल्का पारडी में दिनांक 28.05.2019 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी कि नकल लेने पर मालूम हुआ कि उक्त भुमी वादीया के नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादीगण के नाम है तब वादीया ने समस्त दस्तावेज पटवार हल्का पारडी एव देवगढ़ तहसील से प्राप्त किये तब से वाद उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। वादीया अपनी भुमी पर निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के कब्जा कास्त करती आ रहा है। उक्त भुमी पर गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण के नाम हो जाने से प्रतिवादीगण खुर्द बुर्द करने कि नियत से उक्त भुमी को अन्य किसी व्यक्ति को बैचने पर उतारू है। मुझ वादीया द्वारा हल्का पटवारी से राजस्व रेकार्ड कि नकल दिनांक 28.05.2019 को लेने व नामान्तरण कि नकल लेने से मालुम हुआ कि प्रतिवादीगण ने बदनियत पुर्वक धोखा देने व मुझ वादीया कि जमीन हडप करने कि नियत से मुझ वादीया के पिता श्री गिरधारी के कोई जाईन्दा पुत्री नही बताकर पटवारी से मिलीभगत कर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया एव वादीया को अपने हक अधिकारो से महरूम कर दिया है इसलिये वाद बाबत घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। यह की ग्राम पारडी पटवार सर्कल पारडी तह० देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता सख्या 142/143 के खसरा संख्या 31 , 144 , 206 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 18 विस्वा एंव खाता संख्या 143/144 खसरा संख्या 188 , 189 , 191 ,192 कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 16 एंव खाता संख्या 144/142 खसरा संख्या 146 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा एंव खाता न. 145/141 खसरा संख्या 190 रकबा 3 विस्वा भूमि स्थित है जिसमें से प्रतिवादीगण के साथ वादीया का नाम

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्व रिकोर्ड में गिरधारी कि पुत्री के रूप् में 1/4 हिस्से का दर्ज कराने की घोषणा फरमाई जावे व इसी आशय की डिकी प्रदान कराई जावे। दौराने वाद प्रतिवादीगण अगर वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर लेता है तो उसे शुन्य करने की घोषणा बक्षाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01, 02के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 03, 04 एवं 05 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया तथा वादी के वाद पत्र को स्वीकार करने की सहमति दी है। जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं करना चाहा।

हमने योग्य अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अलवोकन किया गया। वाद पत्र को अवधारित किये जाने योग्य मुख्य बिन्दु यह है किः–

"आया वादीया गिरधारी की वैध उत्तराधिकारी है। जिससें वादिया गिरधारी के हिस्से की भूमि में 1/4 हिस्से की घोषणा कराए जाने की अधिकारी है।"

इस बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस सबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वंशावली एवं प्रतिवादी की स्वीकारोत्ति से सिद्ध है कि वादिया गिरधारी की विधिक वारिसान है। भूमि पैतृक संयुक्त है। गिरधारी के प्रत्येक विधिक उत्तराधिकारी का हिस्सा स्वाभाविक एवं विधिक है।

1- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनवान – विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा' (2020) 9 SCC 1:

इस ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में 2005 का संशोधन पूर्व प्रभावी (retrospective) है और यह सभी पुत्रियों पर लागू होता है, चाहे वे संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई हों, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिता संशोधन की तारीख को जीवित थे या नहीं।

उक्त मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 विशेषकर सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यायगमन की व्याख्या को समझने में मदद करते हैं, खासकर 2005 के संशोधन के संदर्भ में, जिसका उद्देश्य बेटियों को संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार देना था। विनीता शर्मा का मामला, विशेष रूप से एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने धारा 6 की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

"राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में प्रावधान है कि :–

40. Succession to tenants— When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.

चूंकि हस्तगत प्रकरण में निर्वसीयती की सम्पत्ति का न्यायागमन मृतक के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होने से उसके हित का नामान्तरण उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत होगा। मृतक की विरासत हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत के खोली जावेगी।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा – 8 मृतक पुरूष की सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के वारिसान जिसमें पुत्री भी सम्मिलित है। मूल रूप से सहदायिकी पुत्री को पुत्र के समान जन्म से सहदायिक माना गया है।

उपरोक्त विवेचन से वादीया संतोष पिता गिरधारी की विधिक उत्तराधिकारी है। वादिया वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से की वैध अधिकारी है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों, के आधार पर वादिया का अनुतोष स्वीकार योग्य होने से दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पारड़ी पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता सख्या 142/143 के खसरा संख्या 31 , 144 , 206 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 18 विस्वा एंव खाता संख्या 143/144 खसरा संख्या 188 , 189 , 191 ,192 कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 16 एंव खाता संख्या 144/142 खसरा संख्या 146 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा एंव खाता न. 145/141 खसरा संख्या 190 रकबा 3 विस्वा भूमि में गिरधारी पिता दीपा गुर्जर के हिस्से की आराजीयात में वादिया 1/4 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादग्रस्त भूमि में शेष इन्द्राज पुर्वानुसार बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

24/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– मोहकमसिंह सिनसिनवार **आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या :–43/2019

अनवान

1. संतोष पुत्री गिरधारी पत्नी मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी महासिंह का गुड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

––वादीया

बनाम

1. दुर्गा पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. सोहन पिता गिरधारी जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. चम्पा देवी पत्नी शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. सुखी पुत्री शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. कमली पुत्री शिवा जाति गुर्जर निवासी पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – श्रीमती चन्दा तिवारी, अधिवक्ता।

दावा वादिया स्वीकार कर डिकी किया जाता है ग्राम पारड़ी पटवार हल्का पारड़ी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता सख्या 142/143 के खसरा संख्या 31, 144, 206 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 18 विस्वा एंव खाता संख्या 143/144 खसरा संख्या 188 , 189 , 191 ,192 कुल किता 4 रकबा 11 बीघा 16 एंव खाता संख्या 144/142 खसरा संख्या 146 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा एंव खाता न. 145/141 खसरा संख्या 190 रकबा 3 विस्वा भूमि में गिरधारी पिता दीपा गुर्जर के हिस्से की आराजीयात में वादिया 1/4 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादग्रस्त भूमि में शेष इन्द्राज पुर्वानुसार बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार देवगढ़ राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करें।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)